



छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा पंचादश सत्र अंक-13

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 22 फरवरी, 2018

(फाल्गुन 3, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।
(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02,

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

03, 05, 06, 07, 09 (कुल 07) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

तारांकित प्रश्न संख्या 04 एवं 08 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री जनकराम वर्मा एवं डॉ. सनम जांगड़े, अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 36 तारांकित एवं 74 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

- (1) तारांकित प्रश्न संख्या 01 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।
- (2) तारांकित प्रश्न संख्या 05 पर चर्चा के दौरान श्री अमरजीत भगत, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने प्रदेश में सड़कों पर बैठे जानवरों के कारण दुर्घटनाएं होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री अमरजीत भगत, सदस्य ने जशपुर जिला अंतर्गत बादलखोल अभ्यारण्य के बेन्द वृत्त में वृक्षों की अवैध कटाई किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री महेश गागड़ा, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

- (1) श्री दीपक बैज
- (2) श्री बघेल लखेश्वर
- (3) डॉ. विमल चोपड़ा
- (4) श्री मोतीलाल देवांगन
- (5) श्री अरूण वोरा

5. याचिका की प्रस्तुति

माननीय सभापति की घोषणानुसार श्री श्रवण मरकाम एवं श्री उमेश पटेल सदस्य की याचिका पढ़ी हुई मानी गई।

6. वर्ष 2018-2019 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

(1) श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने राजस्व विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 9, भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन से संबंधित मांग संख्या 8, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग से संबंधित मांग संख्या 47, पुनर्वास से संबंधित मांग संख्या 35, प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय से संबंधित मांग संख्या 58, उच्च शिक्षा से संबंधित मांग संख्या 44 विज्ञान और टेक्नालॉजी से संबंधित मांग संख्या 46 प्रस्तुत की।

मांग संख्या 9 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, मनोज सिंह मण्डावी, अरूण वोरा, बघेल लखेश्वर, श्रीमती देवती कर्मा, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्री गिरवर जंघेल, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सर्वश्री केशव चंद्रा, दीपक बैज, जनकराम वर्मा, मोहन मरकाम मांग संख्या 8 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, बघेल लखेश्वर, गिरवर जंघेल, दीपक बैज, मनोज सिंह मण्डावी, मोहन मरकाम मांग संख्या 47 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, सत्यनारायण शर्मा, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री अरूण वोरा, गिरवर जंघेल, श्रीमती देवती कर्मा, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सर्वश्री मनोज सिंह मण्डावी, बघेल लखेश्वर, दीपक बैज, मोहन मरकाम मांग संख्या 35 पर श्री टी.एस. सिंहदेव, श्रीमती देवती कर्मा, श्री बघेल लखेश्वर मांग संख्या 58 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, गिरवर जंघेल, श्रीमती देवती कर्मा, सर्वश्री बघेल लखेश्वर, जनकराम वर्मा मांग संख्या 44 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, सत्यनारायण शर्मा, मनोज सिंह मण्डावी, श्रीमती देवती कर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार राय, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री गिरवर जंघेल, सतराम नेताम, केशव चंद्रा, दीपक बैज, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, श्री मोहन मरकाम, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री जनकराम वर्मा, बघेल लखेश्वर मांग संख्या 46 पर श्री टी.एस.सिंहदेव एवं श्री गिरवर जंघेल, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री मोहन मरकाम, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे,

7. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री एडव्होकेट श्री अब्दुल हक खान अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं। सदन द्वारा मेजों की थपथपाहट से उनका स्वागत किया गया।

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

8. वर्ष 2018-2019 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री अमरजीत भगत, डॉ.खिलावन साहू,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री बृहस्पत सिंह, अवधेश सिंह चंदेल, दीपक बैज, श्यामबिहारी जायसवाल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री दलेश्वर साहू, केशव चंद्रा, (डॉ.) विमल चोपड़ा, सत्यनारायण शर्मा,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री कवासी लखमा, श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया।

9. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ के लोकसभा सदस्य श्री कमलभान सिंह अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं। सदन द्वारा मेजों की थपथपाहट से उनका स्वागत किया गया।

10. वर्ष 2018-2019 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 4 के अंतर्गत माननीय कृषि मंत्री की मांगों पर चर्चा प्रारंभ होने तक समयवृद्धि की घोषणा की।)

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 39, ग्रामोद्योग से संबंधित मांग संख्या 56, योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 31 एवं बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 50 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-39 पर डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, श्रीमती देवती कर्मा, सर्वश्री लालजीत सिंह राठिया, बृहस्पत सिंह, गिरवर जंघेल, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम मांग संख्या-56 पर श्री गिरवर जंघेल मांग संख्या-31 पर श्री लालजीत सिंह राठिया मांग संख्या-50 पर श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री श्रीचंद्र सुंदरानी, गिरवर जंघेल, बघेल लखेश्वर, मोहन मरकाम,

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 7.10 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2018 (फाल्गुन-4, शक संवत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा